कृपया जारी करें,
21-02-2022

I/3041471/2022

RBE No. 22/2022.

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY O RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. 2016/F(E)III/1(1)/3 **New Delhi, dated: 22.02.2022.**

The GMs/Principal Financial Advisors,
All Indian Railways/Production Units (etc),
(As per mailing list)

Sub: Exits and Withdrawals under the National Pension System - regarding.

*****

A copy of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)'s Gazette Notification No. PFRDA/12/RGL/139/8 dated 28th December, 2021 issued in amendment of the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 is enclosed herewith for information and compliance.

The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 mentioned in the enclosed Gazette Notification were adopted on Railways vide letter of even number dated 27.05.2016. The Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 notified vide GSR No.227(E) dated 30.03.2021 are under adoption in the Ministry of Railways.

Signed by Basant Kumar Singh
Date: 16-02-2022 16:15:34
(Basant K. Singh),
Executive Director, Finance (Estt.),
Railway Board.

DA: One

24/2/22

ok

No. 2016/F(E)III/1(1)/3 **New Delhi, dated:22 .02.2022**

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi.

For Member Finance, Railway Board

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan.
7. The Secretary, RBSS, Group 'B' Officers Association.
8. The General Secretary, RBSSSA, Room No. 451-A, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV staff Association.
11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi
12. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employees Federation (AIOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan.

For Secretary, Railway Board.

No. 2016/F(E)III/1(1)/3 **New Delhi, dated:22 .02.2022**

Copy to:- Adv. to MR, OSD to MR, OSD (Co-ord) to MR, Addl. PS to MR, PS to MoSR(D), EDPG to MoSR(D), PS to MoSR(J), EDPG to MoSR(J), DPG to MoSR(J).

PSOs/Sr.PPSs/PPSs to CRB, MF, M/O&BD, M/Infra, M/TRS.

DG(RHS), DG/Safety, DG(RPF), DG/HR.

All Addl. Members, PEDs, All EDs, JSs, Dir.(Dep.)

Section's Yearly Guard File.

Contd.....3/-

No. 2016/F(E)III/1(1)/3 **New Delhi, dated:22.02.2022**

Copy to :-

1. The Director General and Ex Officio General Manager, RDSO/Lucknow.
2. The General Manager and FA&CAO, Metro Railway/Kolkata
3. The Director General, National Academy of Indian Railways (NAIR)/ Vadodara
4. The DGs, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road. IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad
5. The CMDs, IRCON, IRFC, MRVC, IRC&TC, CONCOR, RITES, KRCL, RVNL, Railtel and MDs, CRIS, IRWO.
6. The Chairman, RCT/Delhi.
7. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum.
8. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways (Railway Board)
9. The Chief Commissioner of Railway Safety/ Lucknow
10. The Vice Chairman, Rail Land Development Authority, New Delhi.

(Copy to Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)'s Gazette Notification No. PFRDA/12/RGL/139/8 dated 28.12.2021).

*****

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122021-232219
CG-DL-E-29122021-232219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 685] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943
No. 685] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) तथा (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामतः,-

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 है।

2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में :-

(I) विनियम 2 में उप विनियम (1)(घ) के बाद नया उप-विनियम (1)(घक) को निम्नानुसार प्रविष्ट किया जाएगा :-

(घक) “सीसीएस एनपीएस नियम 2021” का अर्थ केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन) नियम, 2021 होगा, जिसे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सं.जी.एस.आर. 227(ई) दिनांक 30.03.2021 और उसके संशोधनों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो।”

(II) विनियम 2 के उप-विनियम (1)(छ) में, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों" शब्दों के बाद "अथवा केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकायों" शब्दों को भी जोड़ा जाएगा।

(III) विनियम 2 के उप-विनियम 1(ट) (iii) में शब्दों "मृत्यु हो जाती है" के बाद "या अभिदाता जो लापता हो और जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और उसके संशोधनों के अंतर्गत मृत मान लिया गया हो'' शब्दों को प्रविष्ट किया जाएगा ;

(IV) विनियम 3 के उप-विनियम (क)(ii) में,-

(i) "सत्तर वर्ष" शब्दों को "पचहत्तर-वर्ष" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) मौजूदा उप-भाग के अंत में, निम्न खंड को जोड़ा जाएगा:

"अभिदाता के पास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या संस्था को अनुरोध प्रस्तुत करते हुए, किसी भी समय या आवृत्ति पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास करने का विकल्प होगा। आस्थगन की अवधि के दौरान अभिदाता की मृत्यु के मामले में, अभिदाता की ऐसी आस्थगित राशि का भुगतान नामिति(यों) के अधिमान्य क्रम में तथा उसके पश्चात् विधिक वारिस(सों) को किया जाएगा।"

(V) विनियम 3 के उप-विनियम (क)(iii) में,-

(i) "तीन वर्ष की अवधि के लिए'', को "पचहत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) मौजूदा उप-भाग के अंत में, 'सूचना देगा या देगी" शब्दों के बाद "अभिदाता के पास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी भी मध्यवर्ती या संस्था को अनुरोध प्रस्तुत करके, आस्थगन अवधि के दौरान किसी भी समय वार्षिकी क्रय करने का विकल्प होगा'' शब्दों को प्रविष्ट किया जाएगा ;

(VI) विनियम 3 के उप-विनियम (क)(vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

जहाँ अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जारी रखना चाहते हैं और साठ साल की आयु अथवा सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपने व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति के खाते में निर्धारित आयु तक योगदान करना चाहता है, तो उसे लिखित रूप में अथवा निर्दिष्ट निर्धारित प्रपत्र पर, विकल्प देना होगा, लेकिन व्यक्तिगत पेंशन खाते में योगदान पचहत्तर वर्ष की उम्र से अधिक नहीं किया जा सकता। ऐसे विकल्प का उपयोग साठ वर्ष की उम्र या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से कम से कम पंद्रह दिन पहले किया जाएगा, जो कि केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत् इकाई को सूचित करेगा। ऐसे मामलों में, सरकारी क्षेत्र अथवा कोर्पोरेट क्षेत्र के व्यक्तिगत पेंशन खाते /स्थायी सेवानिवृत्ति खाते को सर्व नागरिक क्षेत्र के व्यक्तिगत पेंशन खाता/स्थायी सेवानिवृत्ति में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत व्यक्तिगत पेंशन खाते/स्थायी सेवानिवृत्ति खाते के सम्बंध में खर्च, प्रबंधन शुल्क और देय शुल्क लागू रहेंगे ;

परन्तु इसके अतिरिक्त, अभिदाता, जिसने पंद्रह दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया, तर्कसंगति तथा पर्याप्त कारण के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को आवेदन करते हुए ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण का प्राधिकृत अधिकारी,जैसा भी मामला हो, अभिदाता द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग विलम्ब से करने पर एवं उसके द्वारा दर्शाए गए कारण या अन्य किसी प्रासंगिक मामले के सन्दर्भ में, उपयुक्त लगने पर, माफ़ कर सकता है

इस तरह के विकल्प के प्रयोग के बावजूद, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में किसी भी समय केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत् या इकाई को अनुरोध प्रस्तुत करके निकास ले सकते हैं ; "

(VII) विनियम 3 के उप-विनियम (क) (vii) में-

(i) "कार्यालय की सेवाओं से निःशक्तता या शारीरिक विकलांगता के कारण" शब्दों के बाद "या लागू सेवा नियमों के तहत समयपूर्व," को जोड़ा जाएगा।

(ii) "जैसा उप-विनियम (क) के तहत निर्दिष्ट है उस प्रकार माना जाएगा" शब्दों के बाद "केंद्र सरकार के कर्मचारी के मामले में, यदि अभिदाता को सीसीएस एनपीएस नियम 2021 और उसके संशोधनों के तहत निर्धारित निम्नलिखित

आधारों पर सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, तो निकास का निर्धारण उप-विनियम (क) के तहत निर्दिष्ट किया जाएगा ।

क) बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति।

ख) मूल नियमों के नियम 56 या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्ति पर हितलाभ।

ग) अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति पर हकदारी।

घ) निःशक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किये जाने पर पात्रता ।

ङ.) यदि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नए संगठन में मौजूद नहीं है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या वित्तपोषित निगम या कंपनी या निकायों में आमेलन पर फायदे ।"

शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

(VIII) विनियम 3 के उप-विनियम (ख) के अनुच्छेद 1 में-

(i) ''स्वैच्छिक रूप से निवृत्त हो जाता है या बाहर हो जाता है'' शब्दों को "सेवा से त्यागपत्र पर स्वेच्छा से व्यक्तिगत पेंशन खाता/स्थायी सेवानिवृत्ति खाता बंद कर देता है या सरकार या नियोक्ता द्वारा समय से पहले बाहर निष्काषित या बर्खास्त या हटा दिया जाता है'' शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

(ii) "उसके ऊपर" शब्द को "उस पर" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(IX) विनियम 3 के उप-विनियम (ग) के बाद उप-विनियम (घ) को प्रविष्ट किया जाएगा :-

"जहां अभिदाता, जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पूर्व, नोडल कार्यालय या नियोक्ता द्वारा लापता व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जाता है, संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई (i) प्राथमिक जांच रिपोर्ट (एफआईआर) और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर, जिसके अनुसार पुलिस द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद अभिदाता का पता नहीं लग पाया हो और (ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के पक्ष में नामिति(यों) या कानूनी उत्तराधिकारी(यों) से क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र, कि यदि अभिदाता फिर से उपस्थित होता है और वह कोई दावा करता है तो, अभिदाता को देय भुगतान के विरुद्ध, दिए गए सभी भुगतानों को समायोजित किया जाएगा, उस परिस्थिति में, संचित पेंशन धन का बीस प्रतिशत एकमुश्त अंतरिम राहत के रूप में अभिदाता के नामिति(यों) या कानूनी उत्तराधिकारी(यों) को, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार, अभिदाता को लापता और मृत मान लिए जाने के बाद, शेष अस्सी प्रतिशत संचित पेंशन धन अनिवार्य रूप से वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसा वार्षिकी अनुबंध विनियम 3 के उप-विनियम (ग) के प्रावधान (i) के अनुसार किया जाएगा।"

(X) विनियम 4 के उप-विनियम (क) के अनुच्छेद 1 में, "एकमुश्त रूप से अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा" शब्दों के बाद "या उसके पास ऐसे शेष पेंशन धन लेने को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अभिदाता के हित के लिए विनिर्दिष्ट अन्य विकल्पों के अनुसार, लेने का विकल्प होगा" शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

(XI) विनियम 4 के उप-विनियम (क) (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा,

"जहाँ अभिदाता साठ वर्ष की आयु, या अधिवर्षिता की आयु के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास नहीं लेता, जैसा भी मामला हो, वह तब तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में उसकी सदस्यता जारी रहेगी जब तक कि वह पचहत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता ।

परन्तु यह कि कर्मचारी-नियोक्ता संबंध वाले अभिदाता के सम्बन्ध में उसका व्यक्तिगत पेंशन खाता/स्थायी सेवानिवृत्ति खाता नियोक्ता से सर्व नागरिक मॉडल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा ।

इस तरह के स्वत: निरंतरता के बावजूद, अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय, इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी मध्यस्थ या संस्था को अनुरोध प्रस्तुत करके निकास ले सकता है। निरंतरता की अवधि के दौरान अभिदाता की मृत्यु के मामले में, अभिदाता की संपूर्ण संचित पेंशन राशि का भुगतान ऐसे अभिदाता के नामिती(यों) या कानूनी वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, को किया जाएगा। मृतक अभिदाता के नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी के पास, यदि वे चाहें, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास पर उपलब्ध किसी भी वार्षिकी को खरीदने का विकल्प होगा ।

(XII) विनियम 4 के उप-विनियम (क) (ii) में,-

(i) “सत्तर वर्ष” को “पचहत्तर वर्ष” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) विद्यमान प्रावधान के अंत में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:

"अभिदाता के पास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी मध्यस्थ या संस्था को अनुरोध प्रस्तुत करके किसी भी समय और आवृत्ति पर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर निकलने का विकल्प होगा । आस्थगन की अवधि के दौरान अभिदाता की मृत्यु के मामले में, अभिदाता की ऐसी आस्थगित राशि का भुगतान नामिति(यों) को उनके अधिमान्य क्रम में तथा उसके बाद कानूनी उत्तराधिकारी(यों) को किया जाएगा।

(XIII) विनियम 4 के उप-विनियम (क) (iii) में,-

(i) “साठ वर्ष की आयु या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए”, को “पचहत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) मौजूदा उप-भाग के अंत में, ‘सूचना देगा या देगी” शब्दों के बाद “अभिदाता के पास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी भी मध्यवर्ती या संस्था को अनुरोध प्रस्तुत करके, आस्थगन अवधि के दौरान किसी भी समय वार्षिकी क्रय करने का विकल्प होगा । " शब्दों को प्रविष्ट किया जाएगा;

(XIV) विनियम 4 के उप-विनियम (ख) के पहले अनुच्छेद में, शब्दों “स्वैच्छिक रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास की वांछा करता है, ऐसे अभिदाता को केवल इस आधार पर विकल्प का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में न्यूनतम दस वर्ष से अभिदाय कर रहा हो । ऐसी स्थिति में ऐसे अभिदाता के” शब्दों को “या अभिदाता जिसका कर्मचारी-नियोक्ता सम्बन्ध नहीं है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में न्यूनतम पांच वर्ष से अभिदाय कर रहा हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से स्वैच्छिक रूप से निकास करने का विकल्प चुन सकता है” शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(XV) विनियम 4 के उप-विनियम (ग)(i) में, शब्दों “नामिति या कुटुंब के सदस्य(यों)” को “नामिति(यों) या विधिक वारिस(सों)” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(XVI) विनियम 4 के उप-विनियम(घ) के बाद नए उप-विनियम (ड.) को निम्नानुसार प्रविष्ट किया जाएगा:

"जहां अभिदाता, जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पूर्व, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा लापता व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जाता है, संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई (i) प्राथमिक जांच रिपोर्ट (एफआईआर) और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर, जिसके अनुसार पुलिस द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद अभिदाता का पता नहीं लग पाया हो और (ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के पक्ष में नामिति(यों) या कानूनी उत्तराधिकारी(यों) से क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र, कि यदि अभिदाता फिर से उपस्थित होता है और वह कोई दावा करता है तो, अभिदाता को देय भुगतान के विरुद्ध, दिए गए सभी भुगतानों को समायोजित किया जाएगा, उस परिस्थिति में, संचित पेंशन धन का बीस प्रतिशत एकमुश्त अंतरिम राहत के रूप में अभिदाता के नामिति(यों) या कानूनी उत्तराधिकारी(यों) को, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार, अभिदाता को लापता और मृत मान लिए जाने के बाद, शेष अस्सी प्रतिशत संचित पेंशन धन, अभिदाता के नामिति(यों) या कानूनी उत्तराधिकारी(यों) को, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा ;

परन्तु विनियम 4 के उप-विनियम (ग) के प्रावधान (i) और (ii) भी लागू होंगे।

(XVII) विनियम 6 के उप-विनियम (ग) में, अनुच्छेद 1 के अंत में, केंद्र सरकार कर्मचारियों के मामले में, सीसीएस एनपीएस नियम 2021 और उसके संशोधन लागू होंगे ।” शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

(XVIII) विनियम 6 के उप-विनियम (ड.) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

यदि अभिदाता की मृत्यु के पश्चात, सेवा नियमों के तहत या मृत अभिदाता के कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र के आधार पर मृत अभिदाता के कुटुंब के सदस्य, या अभिदाता, सेवा के दौरान सरकार द्वारा उपबंधित निःशक्तता या विकलांगता सम्बन्धी अतिरिक्त अनुतोष का उपभोग करते हैं, तो, लागू सेवा नियमों के अनुसार, सरकार अथवा नियोक्ता को अभिदाता के कुछ भाग अथवा सम्पूर्ण संचित पेंशन धन अपने पास समायोजित करने या अंतरण किए जाने का अधिकार होगा । ऐसे लाभ का उपयोग करने वाला अभिदाता या मृत अभिदाता के परिवार के सदस्य, सरकार अथवा नियोक्ता से प्रदत्त किसी

भी प्रकार की मृत्योपरांत पेंशन अथवा परिवार-पेंशन या सरकार या नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई अमान्यता या विकलांगता पर कोई अन्य पेंशन लाभ के स्थान पर विनिर्दिष्ट रूप से और बिना शर्त, सरकार अथवा नियोक्ता को, लागू सेवा नियमों के अनुसार, संचित पेंशन धन के कुछ भाग अथवा सम्पूर्ण संचित पेंशन धन अंतरित करने के लिए सहमत होंगे और इसका वचन देंगे। मृत्यु के मामले में, यदि कोई शेष संचित पेंशन धन हो, नामिति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी लागू हो, को एकमुश्त रूप में भुगतान किया जाएगा। निःशक्तता या अक्षमता के मामले में, इसका भुगतान अभिदाता को किया जाएगा:

किन्तु, केंद्र सरकार कर्मचारियों के मामले में, सीसीएस एनपीएस नियम 2021 और उसके संशोधनों के प्रावधान

लागू होंगे।"

(XIX) विनियम 6 के उप-विनियम (ञ) में शब्दों "परिवार के सदस्यों" के बाद " परिवार के सदस्यों जो कि कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र के आधार पर निर्धारित हों, के पक्ष में ऐसे दावों को विनिर्दिष्ट सीमा तक" को प्रविष्ट किया

जाएगा।

(XX) विनियम 7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास या प्रत्याहरण या दावा निपटान की शर्तें –

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर निकलने की अपेक्षित तिथि या इससे पहले, अभिदाता या नामित व्यक्ति(यों), सेवा नियमों के तहत निर्दिष्ट परिवार के सदस्य(यों), या विधिक वारिस(ओं), जैसा भी मामला हो, इन विनियमों में दिए गए प्रत्याहरण, निकास अथवा दावा निपटान के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, आवश्यक दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसकी ओर से कार्य करने वाली केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण या प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी अन्य मध्यवत् इकाई को आवेदन करना होगा। केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किसी अभिदाता द्वारा निकास या प्रत्याहरण के लिए इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर और विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन, प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए नियमों और दिशानिर्देशों, परिपत्र, आदेश या सूचनाओं में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर प्रणाली से प्रत्याहरण, निकास अथवा दावा निपटान की अनुमति दे सकता है:

(XXI) विनियम 8 के उप-विनियम (1)(ग) में शब्दों "उपखंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी रोग से ग्रस्त है वहां प्रत्याहरण का ऐसा अनुरोध ऐसे अभिदाता के कुटुंब के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।" शब्दों को "उप-विनियम 8(1)(अ)(घ) में विनिर्दिष्ट किसी रोग से ग्रस्त है, ऐसे अभिदाता के परिवार के किसी भी सदस्य के माध्यम से, जिनको सेवा नियमों के तहत निर्दिष्ट किया गया हो या जिन्हें सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ के माध्यम से पहचाना या निर्धारित किया जा सकता हो, के द्वारा भी प्रत्याहरण का अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है।" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(XXII) विनियम 32 के अनुच्छेद 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(i) "उसकी" शब्द को "अभिदाता की" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) "उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में" शब्दों के बाद "या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार लापता और मृत मान लिया जाए" को प्रविष्ट किया जाएगा;

(iii) "अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर" शब्दों के बाद "या अभिदाता जो लापता है या जिसे मृत मान लिया गया हो" शब्दों को प्रविष्ट किया जाएगा।

(XXIII) विनियम 32 के तहत खंड (ix) के प्रावधान में, -

(i) "प्रारूप" शब्द को, "पद्धति जो भी हो" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) "मध्यवर्ती द्वारा" शब्दों के बाद "या नोडल कार्यालय" शब्दों को प्रविष्ट किया जाएगा;

(XXIV) विनियम 32 में,

(i) स्पष्टीकरण-I में, "इस अध्याय" शब्दों के स्थान पर "इस विनियम में जहां कहीं भी नामांकन प्रदान किया गया है " शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) उपखंड (क) (i) और (ii) में स्पष्टीकरण-I के तहत, शब्द "अभिप्रेत है " को, शब्दों "अभिप्रेत होगा" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) स्पष्टीकरण-I में, एक नया उप-खंड (क) (iii) नीचे दिया जाएगा :

"(iii) किसी भी ऐसे अभिदाता के संबंध में जो पुरुष या महिला के रूप में अपनी पहचान नहीं रखता है, उसका विधितः विवाहित पति या पत्नी, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उनके आश्रित माता-पिता और उनके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे ;"

(iv) स्पष्टीकरण-II में, शब्दों "उपरोक्त दोनों दशाओं' को 'उपरोक्त तीनों दशाओं' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सुप्रतिम बन्दोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./550/2021-22]

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 11 मई 2015 को, सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 10 अगस्त 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल /139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 6 अक्टूबर 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 02 फरवरी 2018 को, सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
5. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 18 मई 2018 को, सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
6. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र में 19 फरवरी 2019 को, सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
7. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (छठा संशोधन) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र में 20 सितम्बर 2019 को, सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
8. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2020, भारत के राजपत्र में 29 सितम्बर 2020 को, सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
9. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र में 14 जून 2021 को, सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EXITS AND WITHDRAWALS UNDER THE NATIONAL PENSION SYSTEM) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. PFRDA/12/RGL/139/8.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with sub-clause(g), (h), and (i) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely, -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2021.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015: -

(I). New sub-regulation (1) (da) shall be inserted after sub-regulation (1)(d) of Regulation 2 as below:—

"(da) "CCS NPS Rules 2021" shall mean Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 notified vide no. G.S.R. 227(E) dated 30.03.2021 and amendments thereto by Department of Pension and Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India."

(II). In sub-regulation (1)(g) of Regulation 2, after words "Central Government or the State Governments" the words "including autonomous bodies under Central or State Government" shall be inserted;

(III). In sub-regulation (k)(iii) of Regulation 2, after words "death of the subscriber" the words "or the subscriber being missing and presumed dead as per Indian Evidence Act 1872 and amendments thereto," shall be inserted;

(IV). In sub-regulation (a) (ii) of Regulation 3, —

(i) For the words "seventy years", the word "seventy-five years" shall be substituted;

(ii) At the end of the existing sub-section, the following shall be added:

"The subscriber shall have an option to exit from the National Pension System at any point of time and frequency by submitting a request to National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose. In case of death of subscriber during the period of deferment, such deferred amount of the subscriber shall be paid in the preferential order of nominee(s) followed by legal heir(s)."

(V). In sub-regulation (a)(iii) of Regulation 3, —

(i) For the words "for a maximum period of three years from the date of attainment of age of superannuation", the word "until attaining the age of seventy-five years," shall be substituted;

(ii) At the end of the existing sub-section, after words "or entity authorized by the Authority for the purpose" the words "The subscriber shall have an option to purchase an annuity at any point of time during the deferment period by submitting a request to National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose." shall be inserted;

(VI). Sub-regulation (a) (vi) of Regulation 3 shall be substituted as below: —

"where the subscriber desires to continue in the National Pension System and contribute to his retirement account beyond the age of sixty years or the age of superannuation, he or she shall have the option to do so by giving in writing or in such form as may be specified, and up to which he would like to contribute to his individual pension account but not exceeding seventy-five years of age. Such option shall be exercised at least fifteen days prior to the age of attaining sixty years or age of superannuation, as the case may be to the

central recordkeeping agency or the National Pension System Trust or any other intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose. In such cases, individual pension account/ Permanent Retirement Account shall require to be shifted from Government sector to All citizens including corporate sector and the expenses, maintenance charges and fee payable under the National Pension System in respect of the said individual pension account/ Permanent Retirement Account, shall continue to remain applicable;

Provided further that such subscriber who has not exercised the option within the period of fifteen days, so stipulated, but desires to continue with his individual pension account under National Pension System, beyond the age of sixty years or the age of superannuation, as the case may be, and to the extent so permitted, may do so by making an application in writing with reasons for such delay to the National Pension System Trust. The authorized officer of the National Pension Trust, may condone such delay, if any, in exercise of such option by the subscriber, as he may deem fit, having regard to the cause so shown or on any other relevant matter.

Notwithstanding exercise of such option, the subscriber may exit at any point of time from National Pension System, by submitting a request to central recordkeeping agency or the National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose;"

(VII). In sub-regulation (a) (vii) of Regulation 3, —

(i) After the words "office on account of invalidation or disability" the words "or premature retirement as per the applicable service rules," shall be inserted.

(ii) After the words "shall be determined as specified under sub-regulation (a)." the words "In case of a Central Government employee, if the subscriber is discharged from service on the following grounds, as prescribed under CCS NPS Rules 2021 and amendment thereto, the exit shall be determined as specified under sub-regulation(a).

a) Completion of twenty years' regular service.

b) Benefits on retirement under Rule 56 of fundamental rules or under the special voluntary retirement Scheme.

c) Entitlement on retirement on invalidation.

d) Entitlement on boarding out from service on account of disablement.

e) Absorption in or under a Corporation or Company or Body wholly or substantially owned or controlled or financed by the Central Government or a State Government, if the National Pension System does not exist in the new organization." shall be inserted.

(VIII). In Para 1 of sub-regulation (b) of Regulation 3,-

(i) For the words "voluntarily retires or exits", the words "on resignation from service voluntarily closes individual pension account/Permanent Retirement Account or exits or dismissed or removed by the Government or employer prematurely" shall be substituted.

(ii) the words "he", the words "the subscriber" shall be substituted.

(IX). New sub-regulation (d) shall be inserted after sub-regulation (c) of Regulation 3 as below: -

"Where the subscriber who, before attaining the age of superannuation is identified as missing person by the nodal office or the employer, based on the (i) First Investigation Report (FIR) lodged with the concerned police station and a report from the police that the subscriber has not been traced despite all efforts made by the police and (ii) Indemnity bond from the nominee(s) or the legal heirs(s) in favour of National Pension System Trust that all payments will be adjusted against the payment due to the subscriber in case he or she appears on the scene and makes any claim, then twenty percent of the accumulated pension wealth shall be paid as an interim relief in lump sum to the nominee(s) or legal heir(s), as the case may be, of such subscriber and the remaining eighty percent out of the accumulated pension wealth of the subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity after determination of subscriber as missing and presumed dead, as per the provisions of the Indian Evidence Act 1872 and amendments thereto:

Provided that such annuity contract shall be made as per proviso (i) of sub-regulation (c) of Regulation 3."

(X). Para 1 of sub-regulation (a) of Regulation 4, after words "paid to the subscriber in lump sum" the words "or he shall have a choice to collect such remaining pension wealth in accordance with the other options specified by the Authority from time to time, in the interest of the subscribers." shall be inserted.

(XI). Sub-regulation (a) (i) of Regulation 4 shall be substituted as under: -

"Where the subscriber does not exit from the National Pension System beyond the age of sixty years, or the age of superannuation, as the case may be, shall continue to remain subscribed to the National Pension System till he or she attains the age of seventy-five years. Provided further that a subscriber having any employee-employer relationship, the individual pension account/ Permanent Retirement Account shall be shifted from the employer to all citizens model.

Notwithstanding in such automatic continuation, the subscriber may exit at any point of time from the National Pension System, by submitting a request to National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose. In case of death of subscriber during the period of continuation, the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee(s) or legal heir(s), as the case may be, of such subscriber. The nominee(s) or legal heir (s) of the deceased subscriber shall have the option to purchase any of the annuities being offered upon exit, if they so desire;"

(XII). Sub-regulation (a) (ii) of Regulation 4, —

(i) For the words "seventy years", the word "seventy-five years" shall be substituted;

(ii) At the end of the existing proviso, the following shall be added:

"The subscriber shall have an option to exit from the National Pension System at any point of time and frequency by submitting a request to National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose. In case of death of subscriber during the period of deferment, such deferred amount of the subscriber shall be paid in the preferential order of nominee(s) followed by legal heir(s)."

(XIII). In sub-regulation (a) (iii) of Regulation 4, —

(i) For the words "for a maximum period of three years, from the date of attainment of sixty years of age or the age of superannuation, as the case may be, provided", the words "until he or she attains the age of seventy-five years, provided that" shall be substituted;

(ii) After the words "Authorized by the Authority for this purpose." the words "The subscriber shall have an option to purchase an annuity at any point of time during the deferment period by submitting a request to National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose." Shall be added;

(XIV). In first para of sub-regulation (b) of Regulation 4, the words "voluntarily opts to exit from the national pension system the option so exercised shall be allowed only upon such subscriber having subscribed to the national pension system for at least a minimum period of ten years. In case of such subscriber", the words "or subscriber not having any employee-employer relationship having subscribed to the National Pension System for at least a minimum period of five years, voluntarily opts to exit from the National Pension System, then" shall be substituted;

(XV). In sub-regulation (c) (i) of Regulation 4, for the words "nominee or family member(s)", the words "nominee(s) or legal heir(s)" shall be substituted;

(XVI). New sub-regulation (e) shall be inserted after sub-regulation (d) of Regulation 4 as below:

"where the subscriber who, before attaining the age of superannuation is identified as missing person by National Pension System Trust, based on the (i) First Investigation Report (FIR) lodged with the concerned police station and a report from the police that the subscriber has not been traced despite all efforts made by the police and (ii). Indemnity bond from the nominee(s) or the legal heirs(s) in favour of National Pension System Trust that all payments will be adjusted against the payment due to the subscriber in case he or she appears on the scene and makes any claim, then twenty percent of the accumulated pension wealth shall be paid as an interim relief in lump sum to the nominee(s) or legal heir(s), as the case may be, of such subscriber and after determination of subscriber as missing and presumed dead as per the provisions of the Indian Evidence Act 1872 and amendments thereto, the remaining eighty percent out of the accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee (s) or legal heir(s), as the case may be, of such subscriber:

Provided that that proviso (i) and (ii) of sub-regulation (c) of Regulation 4 shall be applicable.

(XVII) In sub-regulation (c) of Regulation 6, at the end of para 1, the words "In case of Central Government employees, the provisions of CCS NPS Rules 2021 and amendments thereto shall be applicable." shall be added.

(XVIII). Sub-regulation (e) of Regulation 6 shall be substituted as below: -

"The family members as specified under the service rules or on the basis of the legal heir certificate of the deceased subscriber, as the case may be, or subscriber upon invalidation or disability during service, avails the option of additional pensionary relief provided by the Government or employer, the Government or employer shall have the right to adjust or seek transfer the part or full accumulated pension corpus of the subscriber to itself as per the applicable service rules. The subscriber or family members of the deceased subscriber availing such benefit shall specifically and unconditionally agree and undertake to transfer the part or full accumulated pension corpus as per the applicable service rules to the Government or employer, in lieu of enjoying or obtaining such additional reliefs like family pension on death or pension or any other pensionary benefit on invalidation or disability provided by the Government or employer. The remaining accumulated pension corpus, if any, in case of death shall be paid in lump sum to the nominees (s) or the legal heir(s), as applicable. In case of invalidation or disability, the same shall be paid to the subscriber:

Provided in case of Central Government employees, the provisions of CCS NPS Rules 2021 and amendments thereto shall be applicable."

(XIX) In sub-regulation (j) of Regulation 6, after words "the family members" the words "on the basis of the legal heir certificate" shall be inserted;

(XX). Regulation 7 shall be substituted as below: -

"Conditions of exit or withdrawals or the claim settlement under National Pension System.-(1) A subscriber or the nominee(s), family member(s) as specified under the service rules or legal heir(s), as the case may be shall submit the exit, withdrawal or the claim settlement application along with the required documents, for the purpose of withdrawing the benefits upon exit as provided in these regulations, on or before the expected date of exit from the National Pension System to the National Pension System Trust or the central recordkeeping agency, acting on behalf of it or any other entity authorized by the Authority. Central recordkeeping agency or National Pension System Trust may on receipt of such an application for exit, withdrawal or claim settlement from a subscriber or the nominee(s), family member(s) as specified under the service rules or legal heir(s), as the case may be in the specified form and subject to fulfillment of conditions so specified, may allow exit or, withdrawals or the claim settlement from the National Pension System in the mode and manner permitted under these regulations and guidelines, circulars, orders or notifications issued by the Authority for the purpose.

(XXI). In sub-regulation (1)(C) of Regulation 8, for the words "the request for withdrawal may be submitted, through any family member of such subscriber.", the words "of sub-regulation (1)(A) of Regulation 8, the request for withdrawal may be submitted, through any family member of such subscriber, as specified under the service rules or as may be identified or determined through a document issued by Government." shall be substituted;

(XXII). Para 1 of regulation 32, shall be substituted as below: -

(i) For the words "his or her", the words "the subscriber's" shall be substituted (in two places);

(ii) After the words "event of his or her death" the words "or the subscriber missing and presumed dead as per the provisions of the Indian Evidence Act 1872 and amendments thereto" shall be inserted;

(iii) After the words "on the death of the subscriber", the words "or the subscriber missing and presumed dead" shall be inserted;

(XXIII). Clause (ix) of proviso under regulation 32, —

(i) For the word "form", the words "mode as may be" shall be substituted;

(ii) After the words "by the intermediary" the words "or nodal office" shall be inserted;

(XXIV). In Regulation 32,

(i) In Explanation I, for the words "this chapter", the words "nomination wherever provided in this regulation" shall be substituted;

(ii) In sub-clause (a)(i) and (ii) under Explanation I, for the word "means", the words "shall mean" shall be substituted.

(iii) In Explanation I, a new sub-clause (a)(iii) shall be inserted as below:

"(iii) in relation to any subscriber who does not identify themselves as male or female, shall mean their legally wedded spouse, their children, whether married or unmarried, their dependent parents and their deceased son's widow and children;"

(iv) In Explanation II, for the words 'either of the above two' the words "in any of above three' shall be substituted.

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./550/2021-22]

Footnote:

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide notification No. PFRDA/12/ RGL/139/8.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 10th August 2017 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 06th October 2017 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8
4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 02nd February 2018 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
5. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 18th May 2018 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
6. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Fifth Amendment) Regulations, 2019 were published in the Gazette of India on 19th Feb 2019 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
7. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Sixth Amendment) Regulations, 2019. were published in the Gazette of India on 20th September 2019 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
8. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2020. were published in the Gazette of India on 29th September 2020 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
9. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 14th June 2021 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.29 11:48:45 +05'30'